पत्र संख्या–3/एम–162/2005 का0 6955/

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 21 सितम्बर,08.

विषय:- विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के रुप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रुप में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होने पर मुख्य सचिव की सहमति की अपेक्षा नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 9143 दिनांक 21 जुलाई, 1986 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त परिपत्र की कंडिका –3 के अनुसार विभागीय जाँच आयुक्त को कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली जानी है। परन्तु ऐसा पाया गया है कि विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सौंपे जाने के जिन प्रस्तावों में माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रुप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है वैसे मामले भी कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजे जाते हैं। ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव की सहमति की शर्त इस उद्देश्य से लगायी गयी थी कि विभागीय जाँच आयुक्त को सिर्फ गंभीर कदाचार, बेईमानी आदि से संबंधित कार्यवाही ही सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। जिन मामलों में माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रुप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्राप्त हो जाता है। उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति की अपेक्षा नहीं हो सकती है।

अतः उपर्युक्त परिपत्र संख्या 9143 दिनांक 21.07.86 की कंडिका –3 को स्पष्ट करते हुए कहना है कि जिन मामलों में विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रुप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति अपेक्षित नहीं होगी और फलस्वरुप कार्मिक विभाग को संचिका भेजा जाना भी अपेक्षित नहीं होगा। उपर्युक्त परिपत्र संख्या 9143 दिनांक 21.07.86 की कंडिका –3 तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव,

ishra Jee\3-M-23(ka)-2008.doc001.doc